

प्रस्ताव संख्या:

आज दिनांक कोग्राम संगठन की बैठक ग्राम पंचायत/ गाँव.....में प्रधान श्रीमती की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें उपस्थिति रही।

सर्व सहमती से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हमारे ग्राम संगठन को बने एक वर्ष हो गया है विकास खण्ड से प्रशिक्षण लेने के उपरान्त ग्राम संगठन ने स्वयं/ गैर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की भेद्यता न्यूनीकरण योजना (वी.आर.पी.) निर्धारित प्रपत्र पर तैयार की गयी ताकि सुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, अचानक बीमारी/ अस्पताल में भर्ती, प्राकृतिक आपदा आदि में परिवार या समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली कमजोरियों को दूर किया जा सके। इसके लिए वी.आर.एफ. बैंक खाता भी खोल दिया है जिसमें निर्धारित प्रपत्र के अनुसार जरूरतमंद लोगों को राशी जारी की जाएगी।

वी.आर.पी. में वी.आर.एफ. का प्रयोग खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता (एफ.एन.एच.डब्ल्यू.) आवास, लिंग/जेंडर, आवास, अवसंरचना /मूलभूत जरूरत, आजीविका, विपणन, हकदारी आदि जैसी कमजोर परिवारों की व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

अतः खण्ड विकास अधिकारी महोदय से निवेदन है कि ग्राम संगठन को उक्त वी.आर.एफ. राशी प्रदान की जावे ताकि जरूरतमंद लोगों को आपात स्थिति से बाहर लाने के लिए उनको समय पर राशी जारी की जा सके। प्रस्ताव की प्रतिलिपि खण्ड विकास अधिकारी महोदयकी सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

प्रधान

सचिव

.....ग्राम संगठन

ग्राम पंचायत विकास खण्ड

जिला हि. प्र.। सम्पर्क न. :